भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 17
:Phone 2661263,2737446 Fax: 2661263 Website:bsgmp.net E mail:bsgmadhypradesh@gmail.com

क्र0/ 1529 /रा0मु0/युवा कार्यक्रम/2017–18 भोपाल, दिनांक 03/7/2017

प्रति,

1. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
पदेन जिला मुख्य आयुक्त जिला ....(म0प्र0) ।
2. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
संभागीय कार्यालय ....(म0प्र0) ।

विषय :– **राज्य, संभाग व जिला स्तर के युवा एडवांसमेन्ट शिविर के आयोजन हेतु संलग्न मार्गदर्शिका का पालन करने बाबत**

सन्दर्भ :– **प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम सत्र 2017–2018 के अनुक्रम में**

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम व कार्ययोजना अनुसार राज्य, संभाग, जिला स्तर के युवा एडवांसमेन्ट अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले शिविर के गुणवत्ता व सफल आयोजन की दृष्टि से मार्गदर्शिका संलग्न कर प्रेषित है । यह मार्गदर्शिका दिनांक 1 जुलाई 2017 से प्रभावशील है । अतः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों का प्रत्येक स्तर के युवा एडवांसमेन्ट व अन्य शिविरों में कड़ाई से पालन कर गुणवत्ता पूर्ण परिणाम देवें ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/ 1530 /रा0मु0/युवा कार्यक्रम/2017–18 भोपाल, दिनांक 03/7/2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु–

1 राज्य मुख्य आयुक्त राज्य मुख्यालय भोपाल ।
2 राज्य आयुक्त (स्काउट) राज्य मुख्यालय भोपाल ।
3. राज्य संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल ।
4. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग ....(म0प्र0) ।
5. संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं आदिवासी विकास संभाग ....(म0प्र0)
6. लेखाधिकारी/स्थापना शाखा राज्य मुख्यालय भोपाल ।
7 जिला सचिव/संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) जिला.......................... (म0प्र0)
8 वार्डन, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर भोपाल ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

E:\Activity_Gatividi\State program Letter.docx/sahu 1/9

राज्य स्तरीय जॉच शिविर हेतु मार्गदर्शिका

1- राज्य स्तर पर चतुर्थ चरण / रक पंख / राज्य पुरस्कार (स्काउट / गाइड, रोवर / रेंजर) जॉच शिविर आयोजित किये जावेगें।

2- यह जॉच शिविर 05 दिवसीय पूर्णतः आवासीय होगें।

3- एक दल के कुल सदस्यों मे से 25 प्रतिशत (अधिकतम 06 से 08) सदस्यों के आवेदन फार्म पुरस्कार के लिये अनुशंशा कर सकेगें। 25 प्रतिशत से अधिक को स्वीकार नही किया जा सकेगा।

4- जॉच शिविर मे सम्मिलित होने हेतु प्रतिभागियों को निर्धारित समय सीमा मे संबंधित आवेदन फार्म 20 अप्रेल तक संभागीय कार्यालयके माध्यम से राज्य मुख्यालय प्रेषित करना होगा। विलंब से प्राप्त आवेदन स्वीकार नही होगें।

5- जॉच शिविर मे राज्य मुख्यालय से जारी चयनित सूची अनुसार प्रतिभागी ही सम्मिलित होगें।

6- जॉच शिविर प्रशिक्षण केन्द्र जहॉ पूर्ण सुविधा हो वहॉ पर तम्बुओं मे आयोजित किये जावेगें।

7- संचालक व पर्यवेक्षक राज्य मुख्यालय से नियुक्त किये जावेगें एवं परीक्षक न्युनतम हिमालय वुड बैज स्तर के होगें।

8- शिविर मे प्रथम दिवस प्रातः 10.00 बजे पूर्ण युनिफार्म मे पंजीयन कराना आवश्यक है। पंजीयन के साथ, तृतीय सोपान प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत जॉच पत्र, नवीनीकृत दल का चार्टर व स्काउटर / गाइडर का वारंट प्रस्तुत करना होगा।

9- आवेदन फार्म व व्यक्तिगत जॉच पत्र मे ओवर राइटिंग व काटछाट मान्य नही होगें।

10- स्काउट के दक्षता बैजो की पुरूष परीक्षक एवं गाइड के दक्षता बैजो की महिला परीक्षक द्वारा जॉच स्वीकार की जावेगी, एक परीक्षक अधिकतम 2 बैज के ही परीक्षक होगें।

11- विगत 03 वर्षो के परीक्षकों की प्रमाणित सूची ए.एस.ओ.सी. द्वारा माह अप्रेल तक राज्य मुख्यालय को प्रस्तुत की जावेगी।

12- जॉच मे प्रत्येक परीक्षा के 10 पूर्णांक होगें, जिसमे प्रवेश व राज्य पुरस्कार के प्रत्येक विषय मे 90 प्रतिशत तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय सोपान के प्रत्येक विषय मे 60 प्रतिशत अंक पर सफल होगें। 3 विषय तके 60 प्रतिशत से कम होने पर असफल माने जावेगें ।

13- विशेष परिस्थिति मे संचालक मंडल की राय पर प्रतिभागी के सफल होने हेतु कार्यव्यवहार, रिकार्ड व स्मार्टनेस के आधार पर एक विषय मे कृपांक दिया जा सकेगा।

14- शिविर अवधि मे परिणाम पूर्ण तैयार कर सभी परीक्षको के हस्ताक्षर कर प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावेगा। जिसकी घोषणा राज्य मुख्यालय से की जावेगी।

15– प्रतिभागियों के साथ सेवा कार्य, हाइक, चर्चा, कार्यक्रम की लॉगबुक मे कार्य का स्पष्ट उल्लेख होकर, व्यवहारिक विवरण प्रतिवेदन रोड मेप व प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर होना चाहिये।

16– दक्षता बैज लॉगबुक मे बैज का चित्र, परीक्षा की तिथि, परीक्षक का नाम व पूर्ण पता, बैज का पाठयक्रम, पाठयक्रमानुसार बिन्दुवार किये गये कार्यो का विवरण, प्रतिवेदन, मानसभा की कार्य पूर्व व कार्य पश्चात की अनुमति व अनुशंशा, परीक्षा का पूर्ण विवरण, परीक्षक एवं जिला कमिश्नर स्काउट/गाइड के हस्ताक्षर, पद नाम, दिनांक स्पष्ट रूप से उल्लेख हो एवं प्रमाण पत्र पर स्वतंत्र परीक्षक व बैज सचिव के हस्ताक्षर हो।

17– संबंधित स्काउटर/गाइडर दल अभिलेख मे विगत 03 वर्षो का दल पंजीयन, चार्टर, वारंट (नवीनीकृत) दल प्रगति रजिस्टर, शिविर, सेवाकार्य, हाइक प्रतिवेदन रजिस्टर, मानसभा रजिस्टर आदि जॉच शिविर मे प्रथम दिवस परीक्षण हेतु प्रस्तुत करें।

18– स्काउट/गाइड के साथ उनके स्काउटर/गाइडर शिविर अवधि मे पूर्ण गणवेश मे सम्मिलित होगें ।

19– जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अध्ययनरत संस्था प्रधान का मान्य किया जावेगा अथवा बोर्ड अंक सूची राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति मान्य की जावेगी।

20– संबंधित दल के युनिट लीडर/ग्रुप लीडर स्वंय के दल के सदस्यों के स्वतंत्र परीक्षक मान्य नही होगें।

21– संभाग द्वारा 20 अप्रेल तक फार्म के साथ सूची जिसमे स.क्र./आवेदन क्र./नाम/पिता का नाम/संस्था नाम/दल का नाम/जन्मतिथि/दीक्षा/प्रवेश/प्रथम सोपान/द्वितीय सोपान/तृतीय सोपान/तृतीय सोपान प्रमाण पत्र क्र0 व दिनांक पूर्ण की अंतिम तिथि संलग्न कर राज्य मुख्यालय को जमा करना होगें। विलंब से प्राप्त सूची व फार्म स्वीकार नही होगें।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

—: जिला स्तरीय जांच शिविर की व्यवस्था :—

1. जिला स्तर पर द्वितीयचरण/रजतपंख, द्वितीय सोपान के जांच शिविर आयोजित किये जावेगें ।
2. स्काउट–गाइड जांच शिविर 3 दिवसीय आवासीय संभवतः प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित किय जावेगें एवं कब–बुलबुल के 3 दिवस के स्थानीय स्तर पर होगें ।
3. जिला संघ जांच की अनुमति हेतु प्रथम सोपान, प्रथमचरण–कोमलपंख की सूची के साथ प्रस्ताव मय संचालक मण्डल के ए0एस0ओ0सी0 को एक माह पूर्व प्रेषित करें । एवं अनुमति प्राप्त करें ।
4. कब–बुलबुल प्रातः 9 बजे से सायंकाल 6 बजे तक यूनिफार्म में उपस्थित रहेगें एवं एक समय का भोजन स्वयं साथ लावेगें ।
5. जांच शिविर संचालन का दायित्व जिला संगठक (स्काउट/गाइड) का होगा जो न्यूनतम हिमालय वुड बैज हो एवं संचालक मण्डल हिमालय वुड बैज स्तर का होगा ।
6. पंजीयन के समय स्काउट–गाइड, रोवर–रेंजर व यूनिट लीडर को 150/– प्रतिव्यक्ति विकास+विशेष एवं 225/– शिविर शुल्क जमा करना होगा ।
7. पंजीयन के समय पेट्रोल फार्म के साथ प्रतिभागी को स्वयं का जांच पत्र, प्रथम सोपान, प्रथमचरण–कोमल पंख प्रमाण–पत्र की छायप्रति, जन्मतिथि प्रमाणीकरण हेतु अंकसूची की छायप्रति संलग्न करना होगा ।
8. शिविर में प्रवेश से लेकर द्वितीय सोपान, के विषयों की जांच की जावेगी । जिसमें स्तर 80 प्रतिशत प्रत्येक विषय में अनिवार्य है ।
9. जिला संघ जांच की अनुमति हेतु प्रथमचरण–रजतपंख की सूची के साथ प्रस्ताव मय संचालक मण्डल के ए0एस0ओ0सी0 को एक माह पूर्व प्रेषित करें एवं अनुमति प्राप्त करें
10. संचालक मण्डल के मार्ग व्यय की व्यवस्था जिला संघ से की जावे ।
11. शिविर समाप्ति के 15 दिवस में प्रतिवेदन की प्रति मय विकास+विशेष शुल्क की 50 प्रतिशत राशि संभागीय कार्यालय के माध्यम से राज्य मुख्यालय को परिणाम पत्रक के साथ प्रेषित करेगें । प्रतिभागियों की सूची में सामान्य, स्वतंत्र दल, रा0शि0के0, अनु0 जाति, आदिवासी विभाग का उल्लेख करें ।
12. शिविर अवधि में स्काउट–गाइड के साथ उनके स्काउटर–गाइडर रहेगें ।
13. संचालक मण्डल भी शिविर में पूरे समय रहेगें ।
14. शिविर संचालक को प्रतिदिन कम से कम एक विषय की जांच लेना अनिवार्य है ।
15. शिविर में एक दिन ए0एस0ओ0सी0 अथवा संभाग के प्रशिक्षक शिविर में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित होगें ।
16. शिविर अवधि में सभी परीक्षकों के हस्ताक्षर के साथ परिणाम पत्रक तैयार करेगें ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

—: संभाग स्तर पर जांच शिविर मार्गदर्शिका :—

1. संभाग स्तर पर तृतीयचरण/स्वर्णपंख, तृतीय सोपान/निपुण के जांच शिविर आयोजित होगें ।
2. उक्त जांच शिविर 5 दिवसीय पूर्णतः आवासीय शिविर होगें । जो संभाग के प्रशिक्षण केन्द्रों पर अनिवार्यतः आयोजित होगें ।
3. उक्त जांच शिविरों की अनुमति 2 माह पूर्व राज्य मुख्यालय से मय तिथि, स्थान, संचालक मण्डल व सूची के साथ ए0एस0ओ0सी0 प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करें ।
4. जांच शिविर का संचालन ए0एस0ओ0सी0 द्वारा किया जावेगा । संचालक मण्डल में लीडर ट्रेनर/सहायक लीडर ट्रेनर/हिमालय वुड बैज स्तर के सम्मिलित किये जावे
5. शिविर हेतु नियमानुसार शिविर, विकास+विशेष शुल्क प्राप्त किया जावे ।
6. प्रथम दिवस प्रातः 10.00 बजे पंजीयन के समय पंजीयन फार्म के साथ व्यक्तिगत मूल डस्टकार्ड, द्वितीय सोपान, द्वितीय चरण—रजतपंख, प्रवेश रोवर—रेंजर प्रमाण—पत्र की छायाप्रति व अंकसूची (जन्मतिथि) हेतु की छायाप्रति संलग्न कर जमा करें । जिनका संचालक परीक्षण कर प्रवेश देगें ।
7. शिविर में प्रवेश से लेकर तृतीयचरण/स्वर्णपंख, तृतीय सोपान/निपुण जांच शिविर की जांच लिखित, मौखिक व प्रायोगिक रूप से की जावेगी ।
8. जांच में पूर्णांक 10 अंक रहेगा जिनमें प्रवेश 90 प्रतिशत व तृतीय सोपान के प्रत्येक विषय में 90 प्रतिशत रखें ।
9. प्रथम व द्वितीय सोपान में 80 प्रतिशत का स्तर रखा जावे एवं इनमें 3 विषयों में कम अंक आने पर एक एक विषय की रिटेस्ट ली जा सकेगी ।
10. शिविर अवधि में स्वतंत्र परीक्षकों की सूची, दल का अभिलेख जिसमें वारंट, चार्टर, नवीनीकरण, प्रगति रजिस्टर, हाईक, सेवाकार्य, मानसभा आदि अभिलेखों की जांच कर प्रमाणित करेगें ।
11. शिविर प्रतिवेदन मय राशि व मूल परिणाम पत्रक के साथ 15 दिवस में राज्य मुख्यालय भोपाल को प्रेषित करें । जिसमें सामान्य, स्वतंत्र दल, अनु0जाति, आदिवासी विकास, विभाग, राज्य शिक्षा केन्द्र की पृथक पृथक प्रतिभागियों की सूची संलग्न करें ।
12. संचालक मण्डल व स्काउटर—गाइडर शिविर में पूर्ण समय रहेगें ।
13. शिविर संचालक प्रतिदिन एक विषय की जांच अनिवार्य रूप से लेगें ।
14. राज्य मुख्यालय से पर्यवेक्षक नियुक्त किये जावेगें । जो एक रात्रि शिविर में रूककर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें ।
15. शिविर अवधि में परिणाम पत्रक तैयार किया जावे एवं सभी परीक्षकों के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करेगें ।
16. शिविर में प्रतिभागियों के स्काउटर—गाइडर जांच नहीं करेगें ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

..\Activity_Gatividi\State program Letter.docx/sahu-178